राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न

शीघ्र ही बनेगा उपभोक्ता भवन
उपभोक्ता विषयक गतिविधियां होगी एक ही छत के नीचे
विधिक माप विज्ञान का होगा कम्प्यूटरीकरण

जयपुर, 18 जुलाई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री बाबूलाल वर्मा ने कहा है कि विभाग की वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 की कुल 10 बज़ट घोषणाओं में से 9 की पूर्ण क्रियान्विति की जा चुकी है।

खाद्य मंत्री श्री बाबूलाल वर्मा मंगलवार को सचिवालय स्थित उनके कक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सुराज संकल्प नीति, निर्देशों एवं बजट घोषणाओं में अधिंकांश बिन्दुओं में अर्जित की गई विभागीय प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

श्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की मंशा है कि प्रदेश में उपभोक्ता विषयक सभी गतिविधियां एक ही छत के नीचे संचालित हो। इस दृष्टि से उपभोक्ताओं की भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हसनपुरा (जयपुर) में शीघ्र ही **"उपभोक्ता भवन"** का निर्माण शीघ्र शुरू करवाया जायेगा। साथ ही विधिक माप विज्ञान का कम्प्यूटरीकरण किये जाने की पहल से पंजीयन एवं सत्यापन ऑनलाईन हो सकेगा। इससे आमजन को दर–दर भटकने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

खाद्य मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर न्याय दिलवाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है। इस हेतु जिला मंचों एवं आयोग में दर्ज परिवादों के समयबद्ध निस्तारण के लिए स्थायी तंत्र का गठन किया जायेगा और जिला मंचों की त्रिमासिक ग्रेडिंग के साथ ही कैम्प कोर्ट आयोजित किये जायेंगे।

श्री वर्मा ने निर्देशित किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश के सभी चयनित पात्र व्यक्तियों को उनके हक की राशन सामग्री समय पर दिलवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने के साथ ही पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को सरल बनाये जाने की दिशा में यथोचित कार्यवाही की जावे एवं हर स्तर पर इसकी समीक्षा की जावे।

खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालित 5492 अन्नपूर्णा भण्डारों पर एमआरपी से कम मूल्यों पर विक्रय की जाने वाली सभी वस्तुओं की मूल्य सूची का प्रदर्शन प्रत्येक अन्नपूर्णा भण्डार पर अनिवार्य रूप से किया जाये एवं इस अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार किया जावे, जिससे इस योजना का लाभ आम उपभोक्ताओं को उठा सके।

उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में उपभोक्ता हैल्पलाईन एवं अन्य क्रियाकलापों का व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आमजन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को इन योजनाओं का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए।

श्री वर्मा ने कहा कि आम उपभोक्ताओं के हितों को मध्यनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही अनेकानेक जनकल्याणकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिये समय–समय पर समीक्षा करते हुए और अधिक कारगर कदम उठाकर उन्हें गति दी जाये जिससे योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके।

शासन सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से पोस मशीन द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन सामग्री का सफलतापूर्वक वितरण किया जा रहा है। उन्होंने एनएफएसए सेनिटाईज़ेशन, पोर्टेबिलिटी, उचित मूल्य दुकानों के अटैचमेंट, आधार सीडिंग, दोहरे राशन कार्ड एवं सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिन्दु पर विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने उपभोक्ता निदेशालय के लिए भवन निर्माण कार्य में गति लाने, राज्य खाद्य आयोग के गठन, प्रदेश के 1 हजार उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय कर संभागीय उपभोक्ता सम्मेलन आयोजित किये जाने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

बैठक में उपभोक्ता मामले विभाग के उपनिदेशक श्री संजय झाला ने बताया कि राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन के माध्यम से अब तक विभिन्न प्रकार की 38 हजार 828 शिकायतों का निस्तारण किया जाकर उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों द्वारा उपभोक्ता जिला मंचों की ओर से 808 परिवादों का समय पर निस्तारण किया गया है।

बैठक में खाद्य मंत्री के विशिष्ट सहायक श्री विभु कौशिक, खाद्य उपायुक्त श्री आकाश तोमर, महाप्रबंधक प्रीति माथुर, लीगल मैट्रोलोजी के उपनियंत्रक श्री सोहन लाल नाथयोगी सहित राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

———